कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक 167 /प्र.अ.(विधि)पीए/लोस्वायांवि./2025 भोपाल, दिनांक 21/05/2025

//अभ्यावेदन निराकरण आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन कमांक 3682/2025 (ओमप्रकाश कोकाटे विरूद्व म0प्र0शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 14 फरवरी 2025 के परिपालन में याचिकाकर्ता श्री ओमप्रकाश कोकाटे, समयपाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, मंडला (म प्र) द्वारा याचिका के आदेश उपरांत प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन दिनांक 05.03.2025 का निराकरण किया जा रहा है।

1— श्री ओमप्रकाश कोकाटे, समयपाल (स्थाईकर्मी), द्वारा मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन कमांक 3682/2025 दायर कर मा0 उच्च न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :—

a. Issue a writ of Mandamus directing the Respondents to make payment of increased minimum pay scale to the petitioner from date 01-01-2016 of the post occupied by the petitioner.
b. Issue a writ of Mandamus commanding the Respondents to pay the revision of minimum pay scale as per VII Pay Commission / M.P. Revision of Pay Rules 2017 as revised pay scale of Rs 4400+1300 Grade pay in Level I as pay matrix index 2.37 w.e.f. 01-01-2016, in the interest of justice.
c. Issue the writ of Mandamus of the dues of the amount of the revised pay scale along with interest.
d. Issue a writ of Mandamus directing the Respondents to consider and decide the representation (Annexure P/9) in accordance with law.
e. Any other relief deems fit may also be granted including cost of litigation.

2— मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 14 फरवरी 2025 के माध्यम से किया गया है। जिसका आपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :—

4. After hearing learned counsel for the parties, the innocuous prayer made on behalf of the petitioner is hereby accepted with a direction to the petitioner to resubmit his representation to

respondent 2-Engineer-in-Chief, PHE Department, Jal Bhawan, Banganga, Bhopal, within a period of 15 days and in turn, respondent 2 is directed to consider and decide the representation of the petitioner taking into consideration the decision in the case of Kishori Lal Prajapati (supra) within a period of 90 days from the date of receipt of representation along with the certified copy of this order passed by this Court today by passing a reasoned and speaking order.

5. If the case of petitioner is found to be covered by the decision in the case of Kishori Lal Prajapati (supra), the petitioner shall be given the requisite benefit in accordance with law.

6. It is also directed that respondent 2 shall intimate the decision on representation to the petitioner.

7. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on merits and demerits of the case.

8. With the aforesaid, this writ petition is disposed off.

3— याचिकाकर्ता श्री ओमप्रकाश कोकाटे, समयपाल (स्थाईकर्मी), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, मंडला (म प्र) द्वारा याचिका के आदेश उपरांत अभ्यावेदन दिनांक 05.03.2025 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने 5वें, 6वें एवं 7वें वेतनमान के अनुसार पद के नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन की एरियर राशि की मांग की है।

4— **रिट याचिका कमांक 5332/2010 (एस) (किशोरीलाल प्रजाप्रति एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2012 के संबंध में स्पष्टीकरण**

किशोरी लाल प्रजाप्रति (सुप्रा) प्रकरण ऐसे याचिकाकर्ता कर्मचारियों से संबंधित है जो 20 वर्षो से भी अधिक समय एन.व्ही.डी.ए.में से ऐसे पदों पर कार्यरत थे जो स्वीकृत थे तथा खाली पडे थे।

वर्ष 2000 में माननीय राज्य प्रशासनिक अधिकरण द्वारा उनके पक्ष में निर्णय पारित करते हुये उन्हें पद के नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतनवृद्धि छोड़कर) प्रदान करने के आदेश पारित किये गये थे। इन आदेशों का शासन द्वारा अनुपालन किया गया था तथा उन्हें पॉचवे वेतनमान में पद के नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतनवृद्धि छोड़कर) का लाभ प्रदान किया गया था।

बाद में म.प्र.शासन द्वारा राज्य में छठवें वेतनमान की अनुशंसायें लागू होने के उपरांत, इन कर्मचारियों को मांगे जाने पर भी पद के छठवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतनवृद्धि छोड़कर) नही दिया जा रहा था। उक्त लाभ को प्राप्त करने के लिये इन कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका कमांक 5335/2010 (S) दायर की गई थी।

विभाग द्वारा कर्मचारियों की मांग का इस आधार पर विरोध किया था कि उन्हें स्थायी वर्गीकृत नहीं किया गया है किन्तू माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता कर्मचारियों के दावों को यह कहते हुये मान्य किया गया था कि प्रतिवादी ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि कर्मचारियों की नियुक्ति किसी भी रूप में अवैधानिक थी।

5— माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका कमांक 3682/2025 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 के परिपालन में याचिकाकर्ता श्री ओमप्रकाश कोकाटे, समयपाल (स्थाईकर्मी), के

अभ्यावेदन दिनांक 05.03.2025 पर किशोरीलाल प्रजापति (सुप्रा) प्रकरण में पारित निर्णय के प्रकाश में विचार किया गया है तथा अभ्यावेदन का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है :–

(i) यह पाया गया है कि श्री ओमप्रकाश कोकाटे स्थायी कर्मी का प्रकरण निम्न 02 आधारों पर किशोरीलाल प्रजापति (सुप्रा) प्रकरण से भिन्न है :–

(अ) किशोरीलाल प्रजापति (सुप्रा) प्रकरण में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को वैधानिक मानते हुये पुनरीक्षित वेतनमान देने के आदेश दिये गये थे जबकि श्री ओमप्रकाश कोकाटे स्थायी कर्मी की नियुक्ति अवैधानिक है। विवरण निम्नानुसार हैः–

a–विभागीय तौर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार के नियम/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उनकी नियुक्ति के संबंध में किसी वैद्यानिक प्रक्रिया के अपनाये जाने का कोई प्रमाण नहीं है ना ही इनकी नियुक्ति से संबंधित कोई विधिवत् आदेश जारी हुआ है ।

b– विभाग में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक (स्थायी वर्गीकृत या अन्यथा) के कोई पद स्वीकृत नहीं है तथा पूर्व में भी स्वीकृत नहीं थे। उन्हें स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया गया है साथ ही संबंधित नियोजकों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की नियुक्ति के अधिकार नहीं थे।

c– ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो, बिना किसी भर्ती नियम के अथवा किसी भर्ती प्रकिया के तथा बिना किसी शैक्षणिक अर्हता, बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित कर लिये जाते हैं, उन दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर राज्य शासन के नियम लागू नहीं होते है, ।

यदि उनका नियोजन ''म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञायें) अधिनियम 1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत भी विचारित किया जाता है तो भी यह पाया जाता है कि Standard Standing Orders के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में नियत प्रावधानों, जिनका उल्लेख Clause-4 एवं 4-A में है, का पालन नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार है –

4: Recruitment. — The manager may after consulting the Employment Exchange lay down the procedure for recruitment of employees and notify it on the notice board on, which standing orders are exhibited.

4-A. Letter of appointment. — Every employee shall be given a letter of appointment, in which among other things, his name, age, qualification, designation, classification: pay-scale,

allowance, nature of job, name of department etc., shall be.indicated.

d–सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्णाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006** के सन्दर्भ में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 16 मई 2007 के अनुसार अवैधानिक नियुक्ति से तात्पर्य यह है कि :–

" संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत अपात्र लोगों की, ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत की गई नियुक्ति जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो तथा ऐसी नियुक्ति करने हेतु नियुक्तिकर्ता वैध रूप से आबद्ध ना हो तथा ऐसी नियुक्ति करना अवैधानिक हो तथा ऐसी नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत नहीं होते हुए या नियुक्तिकर्ता को नियुक्ति के अधिकार नहीं होते हुए नियम/ बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो। उदाहरणार्थ –

- पद स्वीकृत न होना
- आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर की गई नियुक्ति
- नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा न होना
- भर्ती नियम अनुसार अर्हता न होना
- नियुक्ति के अधिकार के बिना नियुक्ति
- कोई पद पर नियुक्ति विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, फिर भी ऐसे नियमों या संविधान के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में भर्ती की गई हो।"

e– मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर में **रिट याचिका क्रमांक 198/1999 मनसुखलाल सराफ विरूद्ध अरूण कुमार तिवारी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2015** में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसे समस्त आदेश जहॉ विहित भर्ती नियमों का पालन न करते हुये भर्तियॉ की गई हैं वो कानूनी रूप से शून्य मानी जायेंगी। यथा :–

47. "By this pronouncement, we declare that all appointments made in similar manner (without following the selection process prescribed by the relevant recruitment rules), in breach of statutory rules, be treated as non-est in the eye of law from its inception and would stand annulled forthwith. However, we may leave the passing of a formal general Government order for revocation of all such appointments or on case to case basis, to be issued by the Appropriate Authority of the State Government."

इसी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गयी **एस.एल.पी. (सी) सी.सी.क. 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में आदेश दिनांक 11.4.2017** द्वारा मा0उच्चतम न्यायालय ने मा0उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को मान्य किया है।

f–उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर विचार करने के उपरांत यह पाया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्णाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006 तथा एस.एल.पी. (सी) सी.सी.क. 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में आदेश दिनांक 11.4.2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार उनका नियोजन पूर्णतः अवैधानिक है।

(ब) किशोरीलाल प्रजापति (सुप्रा) प्रकरण में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में वर्ष 2000 म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसके परिपालन में उन्हें 5वें वेतनमान में नियमित न्यूनतम वेतन स्वीकृत किया गया था। जबकि श्री ओमप्रकाश कोकाटे स्थायी कर्मी के पक्ष में न्यूनतम वेतन की पात्रता संबंधी कोई बाध्यकारी न्यायालयीन निर्णय उपलब्ध नहीं है।

(ii) एक अन्य आधार जो उन्हें इस प्रकृति के किसी लाभ हेतु अयोग्य बनाता है निम्नानुसार है :–

(अ) वर्ष 2016 में, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से सभी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को म.प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961 नियम 1963 के अंतर्गत लाया गया है तथा उनके लिए **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** जारी की गयी है जिसमें नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी की श्रेणी देते हुए उन्हें अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रेणी में विभाजित कर श्रेणीवार वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये है। वेतनमान निम्नानुसार है :–

Mandla KaKorei

अकुशल श्रेणी	4000–80–7000
अर्द्धकुशल श्रेणी	4500–90–7500
कुशल श्रेणी	5000–100–8000

इस योजना में कर्मचारी को पूर्व की सेवा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एक वेतनवृद्धि दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही इन कर्मचारियों के लिए यानि कार्यरत "स्थायी कर्मियों" के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया (जिला स्तर के चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किये जाने पर) के माध्यम से, नियमित सेवा में संविलियन के अवसर भी उपलब्ध कराये गए है ।

(ब) आपके द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मंडला के समक्ष प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र **(क्रमांक AN 991251 एवं AN 991252)** दिनांक 08.11.2017 के माध्यम से संपूर्ण जानकारी उपरांत इस योजना को स्वेच्छा से चुना गया था तथा उक्त योजना से प्राप्त होने वाले स्वत्वों को पूर्णतः स्वीकार किया गया था। उक्त शपथ पत्र के आधार पर आपको दिनांक 01.09.2016 से निरंतर रूप से कुशल श्रेणी का वेतनमान वेतनवृद्धियों सहित भुगतान किया जा रहा है। आपने अपने शपथ पत्र में भविष्य में नियमितीकरण एवं वेतनमान बावत किसी भी तरह का वाद दायर नहीं करने संबंधी वायदा भी किया था। इसके बावजूद आपके द्वारा योजना प्राप्त कर लेने के लगभग 09 वर्षो के पश्चात इस प्रकृति का प्रकरण दायर करना और पूर्व के पद के नियमित वेतनमानों के न्यूनतम वेतनमान के अनुसार 5वें, 6वे एवं 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन अंतर की राशि की मांग करना, किसी भी दृष्टि से न्याय संगत और विधि अनुकूल नहीं है।

6– यद्यपि याचिकाकर्ता कर्मचारी के दावें को मेरिट के आधार पर निराकृत किया गया है तथापि यदि उसके दावे के आधारों में किसी भी तरह की मेरिट होती तो भी उसके द्वारा प्रस्तुत इतनी लम्बी अवधि की वेतन एरियर राशि का दावा परिसीमा अधिनियम 1963 में निहित प्रावधानों के अनुसार भी अमान्य किये जाने योग्य होता क्योंकि कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 2025 में दायर रिट याचिका पर तीन वर्ष से पहले की अवधि के लिए बकाया वेतन के लिए दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है । विवरण निम्नानुसार है –

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ {(1995) 5 SCC 628}, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील

क्रमांक 5151-5152 /2008 ''भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह'' में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2008 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4349 /20232, ''धरम पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य'' में पारित निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2023, सिविल अपील क्रमांक 4134 /2022 ''रूसीभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर म्युनिसपल कारपोरेशन'' में पारित निर्णय दिनांक 18 मई 2022, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10251 /2014 ''असगर इब्राहिम अमीन बनाम जीवन बीमा निगम'' में पारित निर्णय दिनांक 12 अक्टूबर 2015 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3156 /2007 'मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम योगेन्द्र श्रीवास्तव'' में पारित निर्णय दिनांक 07 अक्टूबर 2009 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण वेतन के प्रकरणों में कॉज ऑफ एक्शन सेवा में रहने के दौरान कभी भी उत्पन्न हो सकता है तथा यदि दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो तत्समय के वेतन का समय–समय पर संशोधित रूप में काल्पनिक निर्धारण किया जाएगा तथा पूर्व के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा तथा लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार एरियर राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11अप्रैल 2022, रिट पिटीशन कमांक 13892/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24 जून 2022 (ह्रदय राम यादव एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) एवं रिट पिटीशन कमांक 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023, रिट पिटीशन क 11036/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 जुलाई 2021, रिट अपील क 808/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 सितम्बर 2021, रिव्यु पिटीशन क. 343/2024 (म. प्र शासन एवं अन्य विरुद्ध गंगा प्रसाद दुबे) में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रैल 2024, रिट पिटीशन क. 660/2021 (मुल्लूराम प्रजापति विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 06 मई 2022, रिट पिटीशन क. 20847/2018 (हरिलाल सेन विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10 अगस्त 2021 एवं रिट पिटीशन कमांक 17459/2023 (चंद शेखर चौरे बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24 जुलाई 2023 में लिमिटेशन एक्ट 1963 के

Mandla KaKorei

अनुसार एरियर्स राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।

(5) उपरोक्तानुसार श्री ओमप्रकाश कोकाटे स्थायी कर्मी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका कमांक 3682/2025 में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2025 के अनुपालन में प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन दिनांक 05.03.2025 को ऊपर उल्लेखित तथ्यों के अनुसरण में उनका प्रकरण किशोरीलाल प्रजापति (सुप्रा) प्रकरण के अनुरूप नहीं पाये जाने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दावों में कोई मेरिट नहीं होने के आधार पर अमान्य करते हुये निरस्त किया जाता है।

(6) यदि याचिकाकर्ता इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये इस आदेश से असंतुष्ट हो तो, आदेश के विरूद्ध अपनी अपील, प्रमुख सचिव वल्लभ भवन भोपाल के समक्ष अधिकतम 02 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

20.5.2025

प्रमुख अभियंता

4258

पृ. क्रमांक /प्र.अ.(विधि)पीए/लोस्वायांवि./2025 भोपाल, दिनांक 21/5/25

प्रतिलिपि :–

1– उप सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3– अधीक्षण यंत्री (प्रशा) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की और सूचनार्थ प्रेषित ।

4– अधीक्षण यंत्री, लोक स्वा.यां.विभाग मंडल जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5– कार्यपालनप यंत्री, लोक स्वा.यां.विभाग खंड मंडला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

6– संबंधित श्री ओमप्रकाश कोकाटे समयपाल (स्थायी कर्मी) कार्यालय सहायक यंत्री उपखंड नैनपुर, जिला–मंडला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Speed Post

20.5.2025

प्रमुख अभियंता